कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल

क्र./प्रशा./स्था./ए- /3887/2020 भोपाल दिनांक 17/9/2020

:: आदेश ::

:: माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित विद्यालयों हेतु अंशकालीन शिक्षकों हेतु नवीन दिशा निर्देश ::

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा.वि. टी.टी. नगर, भोपाल, आदर्श उ.मा.वि. रीवा एवं आदर्श उ.मा.वि. जावरा (रतलाम) में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित न हो इस दृष्टिकोण से विद्यालयों में प्रतिवर्ष एक शैक्षणिक वर्ष हेतु अंशकालीन शिक्षकों की व्यवस्था की जाती रही है। इस हेतु पूर्व में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रसारित मापदण्ड एवं शर्तों संबंधी आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन आदेश प्रसारित किये जाते है :-

(1) अंशकालीन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता -

शाला	योग्यता	प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जो मान्य की जायेगी
उच्चतर माध्यमिक शाला	स्नातकोत्तर उपाधि	न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ तथा बी.एड. होना अनिवार्य है।
हाईस्कूल शाला	स्नातक उपाधि	न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ तथा बी.एड. होना अनिवार्य है।
माध्यमिक/प्राथमिक शाला	स्नातक उपाधि	न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ डी.एड. होना अनिवार्य है।

(2) अंशकालीन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तित्व परीक्षण, शैक्षणिक दक्षता/अनुभव का वर्गीकरण/अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

(अ) हायर सेकेण्डरी कक्षाओं हेतु - (निर्धारित 100 अंक)

1.	स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेज्युएट) परीक्षा में	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
2.	बी.एड.	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
3.	शैक्षणिक दक्षता का आंकलन	10 अंक
4.	साक्षात्कार	10 अंक
5.	(शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य के दौरान प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट)	15 अंक
6.	अनुभव (शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य पर)	15 अंक (प्रति 01 वर्ष हेतु 01 अंक एवं अधिकतम 15 अंक)
	कुल अंक	100 अंक

(ब) **हाईस्कूल कक्षाओं हेतु – (निर्धारित 100 अंक)**

1.	स्नातक उपाधि (ग्रेज्युएट) परीक्षा में	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
2.	बी.एड.	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
3.	शैक्षणिक दक्षता का आंकलन	10 अंक
4.	साक्षात्कार	10 अंक
5.	(शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य के दौरान प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट)	15 अंक
6.	अनुभव (शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य पर)	15 अंक (प्रति 01 वर्ष हेतु 01 अंक एवं अधिकतम 15 अंक)
	कुल अंक	**100 अंक**

(स) **मिडिल/प्राथमिक कक्षाओं हेतु – (निर्धारित 100 अंक)**

1.	स्नातक उपाधि (ग्रेज्युएट) परीक्षा में	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
2.	डी.एड.	25 अंक अर्थात कुल प्राप्तांक का प्रतिशत X 25/100 = परिणामी प्राप्तांक (प्रतिशत में)
3.	शैक्षणिक दक्षता का आंकलन	10 अंक
4.	साक्षात्कार	10 अंक
5.	(शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य के दौरान प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट)	15 अंक
6.	अनुभव (शासकीय/अशासकीय/केन्द्रीय विद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापन कार्य पर)	15 अंक (प्रति 01 वर्ष हेतु 01 अंक एवं अधिकतम 15 अंक)
	कुल अंक	**100 अंक**

(3) **अंशकालीन शिक्षकों की व्यवस्था हेतु सत्र 2020-21 के लिए समय सारणी -**

1.	विज्ञापन का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि (संभाग स्तर से)	अक्टूबर प्रथम सप्ताह से 20 अक्टूबर 2020 तक
2.	प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी एवं अंशकालीन शिक्षकों के चयन संबंधी प्रक्रिया निर्धारित गठित समिति द्वारा तैयार कर चयनित अंशकालीन शिक्षकों की सूची जारी करना। अपरिहार्य स्थिति में समय सारणी परिवर्तनीय है	31 अक्टूबर 2020 तक

(3.1) **अंशकालीन शिक्षकों की व्यवस्था हेतु सत्र 2021-22 से आगामी वर्षों के लिए समय सारणी -**

1.	विज्ञापन का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि (संभाग स्तर से)	मार्च के प्रथम सप्ताह से 20 मार्च तक
2.	प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी एवं अंशकालीन शिक्षकों के चयन संबंधी प्रक्रिया निर्धारित गठित समिति द्वारा तैयार कर चयनित अंशकालीन शिक्षकों की सूची जारी करना। अपरिहार्य स्थिति में समय सारणी परिवर्तनीय है	31 मार्च तक

(4) **अंशकालीन शिक्षकों हेतु निर्धारित मानदेय -**

स.क्र.	कक्षाएं	मानदेय
1.	हायर सेकेण्डरी	प्रति कालखण्ड 250/- (अधिकतम 05 कालखण्ड)
2.	हाईस्कूल	प्रति कालखण्ड 225/- (अधिकतम 05 कालखण्ड)
3.	मिडिल/प्राथमिक	प्रति कालखण्ड 200/- (अधिकतम 05 कालखण्ड)

(5) **अंशकालीन शिक्षकों की व्यवस्था हेतु शर्तें -**

(i) अंशकालीन शिक्षकों की व्यवस्था विज्ञापन के आधार पर की जावेगी तथा विज्ञापन में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विज्ञापन अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये है। प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व शिक्षकों के स्वीकृत पद अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना होगा साथ ही विज्ञापन मण्डल की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जावेगा।

(ii) लायब्रेरियन तथा संगीत शिक्षक के लिये बी.एड. होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु संगीत एवं लायब्रेरी विषय में स्नातक की अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(iii) अंशकालीन शिक्षक की चयन हेतु मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जावेगी, स्क्रूटनी पश्चात पात्र आवेदकों का समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तित्व परीक्षण, शैक्षणिक दक्षता/अनुभव के आधार पर कक्षावार एवं विषयवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, तदोपरांत विद्यालय/संस्थान एवं मण्डल के पटल पर प्रकाशित की जावेगी। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, संभाग के संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, प्राचार्य, आदर्श उ.मा.वि., एवं प्राचार्य द्वारा नामांकित विद्यालय के 02 विषय विशेषज्ञ/वरिष्ठतम शिक्षक तथा लेखाधिकारी/लेखापाल (वित्त संबंधी कर्मचारी) सदस्य होंगे।

(iv) चयनित अभ्यथियों को संबंधित विद्यालय/संस्थान में शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन (चरित्र प्रमाण–पत्र) इत्यादि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(v) दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत संस्था प्राचार्य विषयवार आवश्यकता के अनुरूप शैक्षणिक कार्य हेतु चयनित अंशकालीन शिक्षकों को आमंत्रित करेगा।

(vi) अंशकालीन शिक्षक हेतु चयनित व्यक्ति के चयन की मान्यता 04 वर्ष की अवधि के लिये होगी परन्तु एक बार में केवल उसे एक अकादमिक सत्र के लिये ही कार्य दिया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे लिखी शर्तें पूर्ण होने पर चयनित अंशकालीन शिक्षक को 04 वर्ष की अवधि के दौरान पुन: चयन प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक नहीं होगा :–

अ. अंशकालीन शिक्षक द्वारा पढ़ाये जा रहे विषय में कम से कम 60 प्रतिशत छात्रों का परीक्षा परिणाम कम से कम 75 प्रतिशत अंक हो।

ब. अंशकालीन शिक्षक द्वारा पढ़ाये जा रहे विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हो, एवं अंशकालीन शिक्षक का कार्य व्यवहार एवं आचरण उत्तम हो।

(vii) किसी भी अंशकालीन शिक्षक का चयन कालखण्ड आधारित है। अंशकालीन शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित दर पर प्रति कालखण्ड पर भुगतान किया जावेगा, इसके अतिरिक्त अंशकालीन शिक्षक मण्डल/संस्थान से किसी भी अन्य सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगे तथा कोई भी अंशकालीन शिक्षक नियमित एवं स्थायी चयन हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, इस संबंध में अंशकालीन शिक्षक द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा।

(viii) अंशकालीन शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट संबंधित प्राचार्य, आदर्श उ.मा.वि द्वारा तैयार की जावेगी। मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना होगा तथा एक प्रति वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हेतु रिकार्ड के रूप में विद्यालय में रखा जाना होगा।

(ix) अंशकालीन शिक्षकों के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संस्था प्राचार्य द्वारा कार्य व्यवहार, अनुशासन एवं छात्रों के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(x) एक कक्षा में 35–40 छात्रों पर 01 शिक्षक होना चाहिये।

(xi) अंशकालीन शिक्षकों के चयन उपरांत कार्य व्यवहार अथवा कदाचरण एवं लापरवाही के संबंध में संस्था प्राचार्य, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अंशकालीन शिक्षक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित कर पद से पृथक करने का आदेश दे सकेगा।

(xii) यदि अंशकालीन शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण एवं बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसका चयन ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से कार्य से पृथक माना जावेगा एवं इसके लिये कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

(xiii) प्राचार्य अपने स्तर से किसी भी अंशकालीन शिक्षक को कार्य मूल्यांकन के आधार पर बिना समिति के अनुमोदन के स्वयं नियुक्त नहीं कर सकेगा।

(xiv) किसी भी अंशकालीन शिक्षक को पुनः सेवा में रखे जाने के संबंध में चयन समिति सक्षम होगी।

(xv) अंशकालीन शिक्षक का चयन मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत पद के आधार पर किया जायेगा। स्वीकृत पद से अधिक अंशकालीन शिक्षकों को नहीं रखा जाये, यदि रखा जाता है तो इसके लिये प्राचार्य उत्तरदायी होगे।

(xvi) आवास गृह रिक्त होने की दशा/उपलब्धता के आधार पर आवास का आवंटन अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

(xvii) अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कार्यपालिका समिति के अनुमोदन उपरांत की जावेगी।

(xviii) अंशकालीन शिक्षकों को चिकित्सा सहायता राशि के रूप में प्रति माह रूपये 1000/– पृथक से देय होगा।

(xix) अंशकालीन शिक्षकों की चयन एवं अन्य किसी भी मामले में वाद उत्पन्न होने की दशा में अंतिम निर्णय अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट - उपरोक्त दिशा-निर्देश शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से प्रभावशील होगे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र., भोपाल

पृ.क्र./प्रशा./स्था./ए- 3888/2020 **भोपाल दिनांक 17/9/ 2020**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, रीवा एवं जावरा (रतलाम) की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल, रीवा एवं रतलाम की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल, रीवा एवं जावरा (रतलाम) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
6. अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
7. वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
8. विधि सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
9. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
10. समस्त सहायक सचिव/समकक्ष अधिकारी/कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
11. प्राचार्य, आदर्श उ.मा.वि. भोपाल, रीवा एवं जावरा (रतलाम), मध्यप्रदेश
12. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, म.प्र.
13. कक्षाधिकारी, स्थापना-ब वेतन पत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
14. सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र., भोपाल